फर्द अहकाम

हनुमान सहाय बनाम गुलाब देवी

नाम न्यायालय

केस संख्या 247/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वकील वादीगण को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करने हेतु हिदायत दी जाती है। आगामी पेशी पर वकील वादीगण बहस नहीं करने पर वाद का निर्णय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कर दिया जावेगा। वास्ते बहस अंतिम हेतु दिनांक 18/2/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	(ADV) (अभि - वादी) 11/02/2025
	18/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वकील वादीगण ने लिखित बहस पेश की क्रा.कि.दी। वास्ते गौर पत्रावली व आदेश हेतु दि० 24/2/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	
	24/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया) उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

२५८

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
दावा संख्या : 242 / 2023
निर्णय दिनांक : 24.02.2025

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र श्री घासीराम, जाती–बैरवा, आयु 58 वर्ष, निवासीः– सुरजपुरा, ददिया, जयपुर–303905
2. बाबूडी बैरवा पत्नी श्री श्योचंदराम, जाति–बैरवा, उम्र 62 वर्ष, निवासीः–वार्ड नंबर–12, सुरजपुरा वाटिका, जयपुर जरिये मुख्यारआम मनीष कुमार बंशीवाल, पुत्र श्री रमेश चन्द्र जाती–रैगर, आयु–33 निवासीः– पोस्ट–खोरा बिसल, वाया झोटवाड़ा, जयपुर
3. सुन्दर देवी पत्नी श्री मोहरू जाती–बैरवा, आयु–91 वर्ष, निवासीः–सुरजपुरा, ददिया, जयपुर–303905।
4. रामप्यारी पत्नी श्री हरिनारायण उर्फ हरि बैरवा जाती–बैरवा, आयु–58 वर्ष,
5. गुलाब पत्नी श्री गोपाल बैरवा जाती–बैरवा, आयु–50 वर्ष,

निवासीयान ग्राम पोस्ट, कपुरावाला, बाण्यावाली ढाणी, तहसील सांगानेर, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी स्व० श्री हरिनारायण बैरवा आयु– वर्ष,
2. शंकराचार्य बैरवा पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण बैरवा आयु– वर्ष,
3. सुनिता देवी पुत्री स्व० श्री हरिनारायण बैरवा आयु–वर्ष,
4. अनिता देवी पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण बैरवा आयु–वर्ष,

समस्त जाति–बैरवा, निवासीयानः ग्राम सुरजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासीः–17 ए, तिरूपति बालाजी नगर, बैरवा कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।

5. तहसीलदार, तहसील व जिला जयपुर।
6. राजस्थान राज्य, जरिये जिलाधीश, जिलाधीश परिसर, बनीपार्क, जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 24.02.2025

वादी की ओर से पेश दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि संवत 2018 में राजस्व ग्राम सुरजपुरा, पटवार क्षेत्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वजो के नाम निम्न प्रकार दर्ज है। 1. खसरा नम्बर 257 / 1, 258 / 1, 257 / 2. 258 / 2, 309 / 3, 257 / 3, 257 / 5, 259 / 2, 259 / 4, 309 / 2, 260 / 1, 307 / 1, 298, 314 / 3, 299 / 4, 305 / 2, 307 / 3, 308 कुल खसरा नम्बर 18 के खातेदार लादया पुत्र श्री भागीरथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है 2. खसरा नम्बर 257 / 4, 311 / 2, 313 / 1, 314 / 1, 259 / 1, 299 / 2, 299 / 3, 311 / 3, 314 / 2, 312, 313 / 2, कुल खसरा 11 के खातेदार घासी पुत्र श्री भागीरथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है 3.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खसरा नम्बर 259/3, 309/1, 260/2, 307/2, 309/4, 310/2, 311/1, 298/3, 310/1 कुल खसरा 09 के खातेदार मोहरू पुत्र श्री भागीरथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार है वाके राजस्व ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर जिलय जयपुर स्थित वादीगण की पैत्रक आराजी कृषि भूमि ख.सं. 645 रकबा 0.89 है0, ख.सं. 646 रकबा 0.39 है0, ख.सं. 647 रकबा 0.43 है0, ख.सं. 648 रकबा 0.55 है0, ख.सं. 649 रकबा 0.33 है0, ख.सं. 650 रकबा 0.26 है0, ख.सं. 651 रकबा 0.02 है0, ख.सं. 652 रकबा 0.16 है0, ख.सं. 653 रकबा 0.31 है0, ख.सं. 654 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 655 रकबा 0.58 है0, ख.सं. 656 रकबा 0.44 है0, ख.सं. 657 रकबा 0.87 है0, ख.सं. 658 रकबा 0.38 है0, ख.सं. 659 रकबा 0.17 है0, ख.सं. 660 रकबा 0.01 है0, ख.सं. 661 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 662 रकबा 0.40 है0, ख.सं. 663 रकबा 0.52 है0, ख.सं. 664 रकबा 0.28 है0 कुल खसरा 20 कुल रकबा 7.25 है0 हाल राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी 1 लगायत 4 के पिता हरिनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। संवत 2018 में राजस्व ग्राम सुरजपुरा, पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि में घासी व मोहरू के नाम साबिक खसरा नम्बर के वर्तमान नये वर्तमान खसरा नम्बर निम्न प्रकार है। खसरा नम्बर 257/4, 311/2, 313/1, 314/1, 259/1, 299/2, 299/3, 311/3, 314/2, 312, 313/2, के नये खसरा नम्बर 646, 652, 656, 657, 658, 662 है व खसरा नम्बर 259/3, 309/1, 260/2, 307/2, 309/4, 310/2, 311/1, 298/3, 310/1 के नये खसरा नम्बर 647, 648, 653, 654, 659, 660, 664 है। वादी संख्या–01 घासी का पुत्र व वादी संख्या–02 घासी की पुत्री है घासी के अन्य कोई वारिसान् जीवित नही है। घासी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। मोहर की संतानो में वादी संख्या 03 ता 05 है जिसमें वादी संख्या–03 मोहरू की पत्नी वादी संख्या 04 व 05 क्रमशः रामप्यारी व गुलाब देवी मोहरू की पुत्रिया है। लाद्या के वारिसान में उसका एक पुत्र हरिनारायण था जिसका देहान्त हो चुका है, हरिनारायण के वारिसान में उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब देवी प्रतिवादी संख्या 02 जितेन्द्र बैरवा पुत्र व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 क्रमशः सुनिता देवी व अनिता दवी पुत्रिया है, उपरोक्त वाद में वादपत्र के मद संख्या 5 में वर्णित भूमि को वाद संपत्ति के नाम से सम्बोधित किया गया है। भागीरथ के पुत्र लाद्या, घासी व मोहरू के उक्त वादपत्र की मद संख्या 02 के अनुरूप कृषि भूमि दर्ज थी जिसे भागीरथ के अन्य पुत्र लाद्या द्वारा संवत वर्ष 2018 के पश्चात संवत 2022 के राजस्व कारकुनान से मिलीभगत कर स्वंय के नाम दर्ज करवायी। उपरोक्त कृषि भूमि के सम्वंध में वादीगण के पूर्वज घासी व मोहरू द्वारा अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई विकय पत्र, हकत्याग, उपहार पत्र इत्यादि अन्य विलेख लाद्या के हक में निष्पादित नही किया गया था एवं ना ही ऐसे किसी दस्तावेज का विवरण सम्बंधित रिकॉर्ड में दर्ज है। लाद्या पुत्र श्री भागीरथ द्वारा मिलीभगत कर स्वंय के नाम उपरोक्त कृषि भूमि दर्ज करवा ली गई व लाद्या का देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण लाद्या के पुत्र हरिनारायण को

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्राप्त हुई। वादी संख्या 01 गरीब, असहाय व अनपढ़ व्यक्ति है जो ग्राम सुरजपुरा में मजदुरी कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। वादी संख्या–02 घासी की पुत्री है जो शादी के बाद से अपने ससुराल में निवास कर रही है। वादी संख्या–03 के दो पुत्रीया है जो कि उक्त वाद मे वादी संख्या 04 व 05 है वह भी अपने ससुराल में निवास कर रही है व उन्ही के साथ उनकी माता वादी संख्या–03 निवास कर रही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 आपस में रिश्तेदार है, जिसके चलते दिनांक 25.11.2023 को चुनाव मतदान हेतु एक जगह उपस्थित हुए थे। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 से अपने अपने हिस्से का तकास्मा करते हुये कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 02 आग बबूला हो गया व कहने लगा कि मेरे दादा लाद्या ने राजस्व कर्मचारीयों को पैसा देकर मिलीभगत कर घासी व मोहरू की सम्पत्ति अपने नाम करवाई थी उस पर सिर्फ हमारा हक है। उपरोक्त सम्पत्ति अब मेरे पिता हरिनारायण के नाम दर्ज है। जिसे मे अपने नाम नामान्तरण खुलवाकर बेच दूंगा। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा हीदी गई धमकी के कारण वादीगण को डर है कि वह उपरोक्त सम्पत्ति को अन्य असामाजिक तत्व व भू–माफिया के साथ मिलकर बिना विभाजन करवाये विकय कर देगा इसलिए उपरोक्त वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर लाजमी हुआ है। उपरोक्त वाद का वादकारण दिनांक 12.11.2023 को उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी है। वाद भूमि न्यायालय हाजा के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण श्रीमानजी को उक्त वाद को सुनने एवं निर्णित किये जाने की अधिकारिता है। वादकारण उत्पन्न होने की सर्वप्रथम दिनांक 12.11.2023 से उक्त वादपत्र आज अन्दर मियाद व उचित न्यायशुल्क श्रीमानजी के समक्ष पेश है। वाद भूमि के भू–धारक प्रतिवादी संख्या 6 है। जिनके बिहाल्फ पर प्रतिववादी संख्या 5 लोक सेवक होने के नाते वाद भूमि धारित करते है। उपरोक्त दोनो के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का रजिस्टर्ड कानूनी नोटिस पुनः प्रेषित किया जाना आवश्यक है। जो हस्तगत वाद में इसलिए प्रेषित नहीं किया जा सका क्योंकि यह वाद आवश्यक व त्वरिक कृति का है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया है उपरोक्त ॉपचारिकताओं के पश्चात यदि उक्त वादपत्र को पेश किया जाये तो प्रतिवादी संख्या 1 व न्य सामाजिक तत्वो के साथ मिलकर अपने कुत्सित इरादो में सफल हो जायेगा। जिससे द पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए उपरोक्त नोटिस से मुक्ति वास्ते दपत्र के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी दिया गया है। वादीगण धिकारी है के वे न्यायालय से इस आशय की घोषणा करवा सके की वादी संख्या 1 व 2 दपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित सारणी के क्रम संख्या 1 के कॉलम संख्या 4 की सूचि हाल सरा नम्बर 646, 652, 656, 657, 658, 662 कुल रकबा 2.64 है.. वाके ग्राम सुरजपुरा, पटवार त्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खातेदार है तथा वादी संख्या 3 ता वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित सारणी के क्रम संख्या 1 के कॉलम संख्या 4 की सूचि ल खसरा खसरा नम्बर 647, 648, 653, 654, 659, 660, 664 कुल रकबा 1.78 है., वाके

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ग्राम सुरजपुरा, पटवार क्षेत्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खातेदार है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमियों को अन्य किसी भी व्यक्ति को विक्रित कर वाद भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर काबिज नहीं करावे एवं ना ही वाद भूमि को अन्य किसी प्रकार से अंतरित करे। प्रतिवादीगण मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को भी इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद करवाने का अधिकारी है की हस्तगत वाद में घोषणा की डिक्री पारित होने तथा इसका अंकन राजस्व अभिलेख में होने तक प्रतिवादी संख्या 5 किसी भी पंजीकृत या अपंजीकृत अंतरण विलेख के आधार पर भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में भूमि विवादग्रस्त का नामांतरण स्वीकृत कर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं करे अपितु प्रतिवादी संख्या 5 व 6 भूमि के रिकॉर्ड व मोके की स्थिति को यथावत रखे।

वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादी संख्या 1 व 2 को वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित सारणी के क्रम संख्या 1 के कॉलम संख्या 4 की सूची हाल खसरा नम्बर 646, 652, 656, 657, 658, 662 कुल रकबा 2.64 है., वाके ग्राम सुरजपुरा, पटवार क्षेत्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जा सका क्योंकि यह वाद आवश्यक व त्वरिक प्रकृति का है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया गया है उपरोक्त ऑपचारिकताओं के पश्चात यदि उक्त वादपत्र को पेश किया जाये तो प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सामाजिक तत्वो के साथ मिलकर अपने कुत्सित इरादो में सफल हो जायेगा। जिससे वाद पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए उपरोक्त नोटिस से मुक्ति वास्ते वादपत्र के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी दिया गया है। वादीगण अधिकारी है के वे न्यायालय से इस आशय की घोषणा करवा सके की वादी संख्या 1 व 2 वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित सारणी के क्रम संख्या 1 के कॉलम संख्या 4 की सूचि हाल खसरा नम्बर 646, 652, 656, 657, 658, 662 कुल रकबा 2.64 है.. वाके ग्राम सुरजपुरा, पटवार क्षेत्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खातेदार है तथा वादी संख्या 3 ता 5 वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित सारणी के क्रम संख्या 1 के कॉलम संख्या 4 की सूचि हाल खसरा खसरा नम्बर 647, 648, 653, 654, 659, 660, 664 कुल रकबा 2.78 है., वाके ग्राम सुरजपुरा, पटवार क्षेत्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खातेदार है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमियों को अन्य किसी भी व्यक्ति को विक्रित कर वाद भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर काबिज नहीं करावे एवं ना ही वाद भूमि को अन्य किसी प्रकार से अंतरित करे। प्रतिवादीगण मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को भी इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद करवाने का अधिकारी है की हस्तगत वाद में घोषणा की डिक्री पारित होने तथा इसका अंकन

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व अभिलेख में होने तक प्रतिवादी संख्या 5 किसी भी पंजीकृत या अपंजीकृत अंतरण विलेख के आधार पर भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में भूमि विवादग्रस्त का नामांतरण स्वीकृत कर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं करे अपितु प्रतिवादी संख्या 5 व 6 भूमि के रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत रखे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तिवादीगण 1 लगायत 4 बावजूद डाक रजिस्टर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादीगण 1 लगायत के विरूद्ध दिनांक 08.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण की ओर से साक्ष्य में पथ पत्र मनीष कुमार बंशीवाल , रामप्यारी व गुलाव के पेश किये गये। वकील वादी ने लिखित हस पेश की। जो शामिल मिसल है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने व वकील दी की लिखित बहस का मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण ने दावा बाबत् षणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश या है। घोषणा के दावे में वादीगण का कब्जा होना आवश्यक है। वादीगण ने अपने वाद में कब्जा बत् ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नही किये जिससे यह साबित होता हो की वादीगण का दग्रस्त आराजी पर कब्जा हो। ऐसी स्थिति में कब्जा साबित नही होने के कारण वादीगण का वाद रिज किया जाना उचित समझते है।

अतः वादग्रस्त आराजी खसरा नमबरान 646, 652, 656, 657, 658, 662,647, 648, 653, 4, 659, 660, 664 वाके ग्राम सुरजपुरा, पटवार क्षेत्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला यपुर का कब्जा साबित नही होने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय के ाबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

ासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
संख्या : 242/2023
त डिक्री दिनांक: 24.02.2025

उनवान

हनुमान सहाय पुत्र श्री घासीराम, जाती–बैरवा, आयु 58 वर्ष, निवारीः– सुरजपुरा, ददिया, जयपुर–303905

बाबूडी बैरवा पत्नी श्री श्योचंदराम, जाति–बैरवा, उम्र 62 वर्ष, निवारीः–वार्ड नंबर–12, सुरजपुरा वाटिका, जयपुर जरिये मुख्त्यारआम मनीष कुमार वंशीवाल, पुत्र श्री रमेश चन्द्र जाती–रैगर, आयु–33 निवासीः– पोस्ट–खोरा बिसल, वाया झोटवाडा, जयपुर

सुन्दर देवी पत्नी श्री मोहरू जाती–बैरवा, आयु–91 वर्ष, निवारीः–सुरजपुरा, ददिया, जयपुर–303905।

ामप्यारी पत्नी श्री हरिनारायण उर्फ हरि बैरवा जाती–बैरवा, आयु–58 वर्ष,

ुलाब पत्नी श्री गोपाल बैरवा जाती–बैरवा, आयु–50 वर्ष,

निवासीयान ग्राम पोस्ट, कपुरावाला, बाण्यावाली ढाणी, तहसील सांगानेर, जयपुर।

वादीगण

बनाम

ुलाब देवी पत्नी स्व० श्री हरिनारायण बैरवा आयु– वर्ष,

ंकराचार्य बैरवा पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण बैरवा आयु– वर्ष,

ुनिता देवी पुत्री स्व० श्री हरिनारायण बैरवा आयु–वर्ष,

निता देवी पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण बैरवा आयु–वर्ष,

मस्त जाति–बैरवा, निवासीयानः ग्राम सुरजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, हाल ावासीः–17 ए, तिरूपति बालाजी नगर, बैरवा कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर।

हसीलदार, तहसील व जिला जयपुर।

जस्थान राज्य, जरिये जिलाधीश, जिलाधीश परिसर, बनीपार्क, जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर क़ील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण XXXXX मिनजानिब मुदायलह पेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नमबरान 646, 652, 656, 657, 658, 662,647, 648, 9, 660, 664 वाके ग्राम सुरजपुरा, पटवार क्षेत्र खेडी गोकुलपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर वेत नही होने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.02.2025 को जारी की गई।

दस्तखत ......

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
ओहदा

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
...प अर्जी दावा ...प वकालत नामा ...प वह सबूत ...ाना वकील ... गवाहान ... कमिश्नर ... इजराय हुक्मनामा ...रिक	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00
मीजान			मीजान		

इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)